## **DISH DOCTOR**



Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3<sup>rd</sup> Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or

Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

## UNIFIED LICENSE FOR THE TELECOM INDUSTRY

Q: Please shed some light on the Unified License issued for the telecom industry.

Jaishankar Dubey, Telecom Consultant, New Delhi

Ans.: Over the past two decades, the Indian telecommunications sector has undergone a revolutionary transformation with significant reforms

in licensing policies to reflect technological advancements changing seven market demands. In the year 2013, Telecom licensing in India underwent a major transformation with the Implementation of the "Unified License (UL)" regime with vision of One Nation - One License across services and service areas, in which there are separate licenses for different telecommunication services. In this regime, telecom players can offer all telecommunication

53

services under one license. Service authorization for different telecom services is done separately under UL. The guidelines4 for grant of UL ware issued on 19th August 2013 and modified guidelines5 (comprehensive) were issued on 8th January 2014, wherein spectrum allocation has been delinked from the License and it has been mandated to obtain UL.

दूरसंचार उद्योग के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रश्नः कृपया दूरसंचार उद्योग के लिए जारी किये गये एकीकृत लाइसेंस पर कुछ प्रकाश डालें?

> जयशंकर दुबे, दूरसंचार सलाहकार, नयी दिल्ली

उत्तरः पिछले दो दशकों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और वाजार की सात मांगों को वदलने के लिए लाइसेंसिंग नीतियों में

महत्वपूर्ण सुधारों के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वर्ष 2013 में भारत में टेलीकॉम लाइसेंसिंग में 'यूनिफाइड लाइसेंस' (यूएल) व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ एक वड़ा परिवर्तन आया, जिसमें सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र-एक लाइसेंस की दृष्टि थी, जिसमें विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग लाइसेंस हैं। इस व्यवस्था में दूरसंचार कंपनियां एक लाइसेंस के तहत सभी दूरसंचार सेवाओं की पेशकश कर सकती हैं। यूएल के तहत विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा प्राधिकरण अलग से किया

कर सकती हैं। यूएल के तहत विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा प्राधिकरण अलग से किया जाता है। 19 अगस्त 2013 को जारी यूएल वेयर के अनुदान के लिए दिशानिर्देश 4 और संशोधित दिशानिर्देश 5 (व्यापक) 8 जनवरी 2014 को जारी किया गया था जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया गया है और इसे यूएल प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

एकीकृत लाइसेंस सेवावार प्राधिकरण प्रदान करता है, जहां





SATELLITE & CABLE TV APRIL 2023

## **DISH DOCTOR**

Unified License offers service-wise authorizations, where licensees establish networks and use them to provide services. Hence, as per the

licensing regime under UL, the licensees are envisaged to put passive infrastructure, active network elements and provide services using them. Thus, their role cuts across the infrastructure, network, and service layers. The licensees of UL establish the network, maintain it, provide the service to the subscribers, manage the tariff, billing, OoS, customer care, etc.

Currently, in India, there are players that operate purely in infrastructure layer. They are Infrastructure Provider -I (IP-I), who are not under UL but are registered with DoT. Infrastructure Providers came into existence in the year 2000 when the

Department of Telecommunications (DoT) invited applications for IP-I (Infrastructure Providers Category-I) registrations and IP-II (Infrastructure Providers Category-II) licenses. The scope of IP-I was limited to providing passive assets such as Dark Fibre, Right of Way, Duct space, and Tower on lease/ rent out/ sale basis to licensees of telecom services on mutually agreed terms and conditions. IP-II could establish digital network, provide transmission capacity, and could lease/ rent out/sell end to end bandwidth to the other Licensees of Telecom Services. From 13th August 2000 onwards, IP-II licenses were issued by DoT and IP-II were required to pay license fee.

लाइसेंसधारी नेटवर्क स्थापित करते हैं और सेवायें प्रदान करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसलिए, यूएल के तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था के अनुसार लाइसेंसधारियों को निष्क्रिय बुनियादी ढ़ांचे, सक्रिय नेटवर्क

तत्वों को रखने और उनका उपयोग करके सेवायें प्रदान करने की परिकपना की गयी है।इस प्रकार, उनकी भूमिका बुनियादी ढ़ांचे, नेटवर्क और सेवास्तरों में कटौती करती है।यूएल के लाइसेंसधारी नेटवर्क स्थापित करते हैं, इसे बनाये रखते हैं, ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, टैरिफ, बिलिंग, क्यूओएस, ग्राहक सेवा आदि का प्रबंधन करते हैं।

वर्तमान में भारत में ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से इंफ्रॉस्ट्रक्चर लेयर में काम करते हैं। वे इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्रोवाइडर–1(IP-I) हैं जो यूएल के तहत नहीं आते, लेकिन डॉट के साथ पंजीकृत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, वर्ष 2000 में आस्तित्व में आया, जब दुरसंचार विभाग (डॉट) ने IP-I

(इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I) पंजीकरण और IP-II - (इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-II) लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किया | आईपी-I का दायरा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शतों पर दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसधारियों को लीज /किराया पर /बिक्री के आधार पर डार्क फाइवर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टॉवर जैसी निष्क्रिय संपत्ति प्रदान करने तक सीमित था | आईपी-II डिजिटल नेटवर्क स्थापित कर सकता है, और ट्रांसिमशन क्षमता प्रदान कर सकता है, और दूरसंचार सेवाओं के लिए अन्य लाइसेंसधारियों को एंड-टू-एंड बैंडविड्थ लीज /किराये पर /बेच सकता है | 13 अगस्त 2000 से आगे, दूरसंचार विभाग द्वारा आईपी-II लाइसेंस जारी किये गए और आईपी-II को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था । ■



INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



... You Know What You are doing But Nobody Else Does

**ADVERTISE NOW!** 

Contact: Mob.: +91-9108208956

Tel.: +91-22-6216 5313

Email: geeta.lalwani@nm-india.com

54 SATELLITE & CABLE TV APRIL 2023